

आयकर आयुक्त, कलकत्ता (केंद्रीय)

बनाम

मेसर्स पहाड़पुर कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड

11 मार्च, 1996

[बी.पी.जीवन रेड्डी और एम.के.मुखर्जी, जेजे.]

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 245-निपटान कार्यवाही-निपटान आयोग की शक्तियाँ-किसी भी पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलने की शक्ति-इसका दायरा-क्या आयोग निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबंधित निपटान के लिए एक आवेदन में निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1974-75 से संबंधित दंड कार्यवाही को छोड़ सकता है -आयोजित, नहीं ।

करदाता, एक निजी कंपनी, ने निर्धारण वर्ष 1975-76 के संबंध में निपटान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-सी के तहत एक आवेदन दायर किया। निर्धारिती ने तथ्यों का एक विवरण दाखिल किया, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 1975-76 के लिए कुछ अतिरिक्त आय का खुलासा करते हुए अनुरोध किया गया कि अतिरिक्त आय सभी छह मूल्यांकन वर्षों 1970-71 से 1975-76 तक फैला दी जाए और प्रारंभिक मूल्यांकन वर्षों से संबंधित दंड कार्यवाही के संबंध में स्थगन आदेश जारी करने के लिए भी। अध्यक्ष और दो सदस्यों में इस सवाल पर मतभेद था कि क्या आयोग निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबंधित निपटान के लिए एक आवेदन में आकलन वर्ष 1970-71 से 1974-75 से संबंधित दंड कार्यवाही को छोड़ सकता है। बहुमत की राय यह थी कि आयोग के पास ऐसी शक्ति थी जबकि चेयरमैन ने यह कहते हुए विरोधाभास रखा कि चूंकि निपटान के लिए आवेदन केवल आकलन वर्ष 1975-76 के संबंध में था, पहले के मूल्यांकन वर्षों से संबंधित दंड की कार्यवाही किसी भी तरह से निपटान आवेदन या

तथ्यों के बयान से जुड़ी नहीं थी और इसलिए आयोग के पास उन दंड कार्यवाहियों को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और आगे यह कि जुर्माने की कार्यवाही आयकर अधिकारी द्वारा पहले ही पता लगाए गए कुछ अन्य छिपावों के संबंध में थी और निपटान आवेदन में विचार की गई आय से संबंधित नहीं है। ये अपीलें अधिनियम की धारा-245-डी के तहत निपटान आयोग द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के खिलाफ राजस्व द्वारा दायर की गई थीं।

अपीलकर्ता ने यह प्रस्तुत किया कि निपटान के लिए आवेदन केवल आकलन वर्ष 1975-76 से संबंधित था और पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए नहीं, निर्धारिती ने खुलासा की गई अतिरिक्त आय को फैलाने/वितरित करने के सीमित उद्देश्य के लिए पिछले मूल्यांकन वर्षों को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति दी थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पूरी अतिरिक्त आय उसकी आय में जोड़ी जाए आकलन वर्ष 1975-76 में जिससे उनकी कर देनदारी बढ़ जाती और सभी उद्देश्यों के लिए पहले के आकलन को फिर से खोलने के लिए कोई अनुरोध या सहमति नहीं थी; कि निपटान आवेदन दाखिल करने के समय लंबित पिछले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित जुर्माना कार्यवाही, कुछ अन्य छिपावों से संबंधित थी, न कि उन वस्तुओं से जो निपटान आवेदन में प्रकट की गई थीं और यह कि निपटान आवेदन केवल लंबित मामले के संबंध में दायर किया जा सकता है जबकि पिछले वर्षों के संबंध में मूल्यांकन पहले ही पूरा हो चुका था और उनके खिलाफ निर्धारिती द्वारा अपील भी नहीं की गई थी।

प्रतिवादी निर्धारिती ने आरोप लगाया कि निर्धारिती ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था और पिछले मूल्यांकन वर्षों 1970-71 से 1974-75 के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति/सहमति दी थी, इन परिस्थितियों में आयोग के पास इन पिछले वर्षों से संबंधित मूल्यांकन को फिर से खोलने और शुरुआती स्टॉक के बढ़े

हुए मूल्यांकन के कारण कुछ राशियाँ जोड़ने और एक बार आयोग द्वारा उक्त मूल्यांकन को फिर से खोलने की निस्संदेह शक्ति थी, यह उन पहले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित आवश्यक और उचित आदेश पारित करने का हकदार था क्योंकि आयोग की शक्ति पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं थी और भले ही पिछले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित दंड की कार्यवाही निर्धारिती द्वारा कुछ अन्य कथित छिपावों से संबंधित थी, लेकिन आयोग के पास कानून में शक्ति थी, उन दंड कार्यवाहियों को भी समाप्त करने का निर्देश देने के लिए; कि दंड कार्यवाहियां छुपाने की राशि से सह-संबंधित थीं और एक बार जब छुपाई गई राशि में प्रसार के कारण पिछले मूल्यांकन वर्षों में किए गए परिवर्धन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, तो दंड की कार्यवाही कानून में अस्थिर हो जाती है।

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति देते हुये अभिनिर्धारित किया गया।

1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 के तहत निपटान कार्यवाही में आयोग को न केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना है लेकिन इसका क्षेत्राधिकार आवेदन में शामिल मामलों तक ही सीमित है। आगे के शब्द "और मामले से संबंधित कोई भी अन्य सामग्री जो आवेदन में शामिल नहीं है" दिखाएँ कि आयोग आवेदन में शामिल न की गई किसी भी अन्य सामग्री पर विचार कर सकता है लेकिन यह उसके पहले के मामले से संबंधित होना चाहिए। अध्याय XIX-A एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है जो अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सामान्य प्रक्रिया से भिन्न है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर-आवेदन केवल लंबित मामले के संबंध में ही किया जा सकता है-आयोग उस मामले से संबंधित सभी कार्यवाही को अपने हाथ में लेता है जो अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो सकती है। लेकिन यह शक्ति आयोग के समक्ष मामले तक ही सीमित है, जिसका अर्थ है निर्धारण वर्ष से संबंधित मामला जिसके लिए निपटान के लिए आवेदन दायर किया गया है और निपटान के

लिए स्वीकार किया गया है। धारा 245-ई, आयोग को उसके समक्ष मामले से जुड़ी किसी भी पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलने का अधिकार देती है लेकिन यह शक्ति इस अनुभाग में स्पष्ट रूप से बताई गई आवश्यकता से सीमित है कि पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलना उसके समक्ष लंबित मामले के उचित निपटान के लिए आवश्यक या समीचीन होना चाहिए। इस शक्ति पर दो अन्य सीमाएँ हैं, अर्थात्, पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलना, उपरोक्त सीमित उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है, केवल निर्धारिती की सहमति से और दूसरी बात यह कि यह शक्ति उस निर्धारण वर्ष के अंत से आठ साल से अधिक की अवधि तक नहीं बढ़ाई जा सकती, जिससे ऐसी कार्यवाही संबंधित है। ये दो विशेषताएँ इसे काफी हद तक स्पष्ट करती हैं कि यह अनुभाग निर्धारिती के लाभ के लिए नहीं बल्कि राजस्व के हित में पूरी की गई कार्यवाही को फिर से खोलने पर विचार करता है। इसने ऐसी स्थिति पर विचार किया जहाँ आयोग के समक्ष मामले का संतोषजनक ढंग से निपटारा नहीं किया जा सकता है जब तक कि पहले समाप्त हुई कुछ कार्यवाहियों को दोबारा नहीं खोला जाता है, जो आम तौर पर निर्धारिती के प्रतिकूल होगी। यही कारण है कि धारा कहती है कि यह केवल निर्धारिती की सहमति से ही किया जा सकता है और वह भी आठ साल के भीतर की अवधि के लिए। इस धारा को आयोग को अप्रत्यक्ष रूप से वह कार्य करने का अधिकार देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। आयोग के पास उसके समक्ष मौजूद मामले को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार धारा 245-ई द्वारा प्रदत्त शक्ति एक सीमित और सशर्त शक्ति है। इसका प्रयोग केवल उपरोक्त शर्तों के अनुसार और उनके अधीन ही किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। [198-A-G;199-C]

1.2 वर्तमान मामले में, निर्धारिती द्वारा दायर आवेदन केवल मूल्यांकन वर्ष, अर्थात् 1975-76 के संबंध में था। इस बयान में, उन्होंने अनुरोध किया कि उनके द्वारा शुरूआती स्टॉक के बढ़े हुए मूल्य का खुलासा किया जाए केवल आकलन वर्ष 1975-76

के मूल्यांकन में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि सभी छह मूल्यांकन वर्षों, अर्थात्, आकलन वर्ष 1970-71 से 1975-76 तक उचित रूप से फैलाया जाना चाहिए। उन्होंने यह अनुरोध इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से उनकी कुल कर देनदारी कम हो जाती। इसी उद्देश्य से उन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्षों के मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति/सहमति दी। इसलिए, यह चयन 245-ई द्वारा अपेक्षित स्थिति नहीं थी। यह ऐसा मामला नहीं था जहां आयोग निष्कर्ष निकाले गए मूल्यांकन को फिर से खोलना चाहता था क्योंकि अब तक उसके समक्ष लंबित मामले का उचित निपटान करना आवश्यक या समीचीन पाया गया था; यह एक ऐसा मामला था जहां निर्धारिती एक लाभ के लिए अनुरोध कर रहा था और उस लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से, वह पहले के मूल्यांकन को फिर से खोलने का अनुरोध कर रहा था। यहां तक कि निर्धारिती का अनुरोध भी एक सीमित उद्देश्य के लिए था, अर्थात्, उसके द्वारा बताए गए शुरुआती स्टॉक के बढ़े हुए मूल्य को फैलाने के लिए उक्त छह मूल्यांकन वर्षों में। यह उक्त पूर्व मूल्यांकन वर्षों से संबंधित संपूर्ण मूल्यांकन और दंड कार्यवाही को फिर से खोलने का अनुरोध या सहमति नहीं थी। इसलिए, यह इस प्रकार है कि आयोग केवल उपरोक्त सीमित उद्देश्य के लिए, यानी उक्त बढ़े हुए मूल्य को फैलाने के लिए उक्त पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही को फिर से खोल सकता है। उपरोक्त सीमित उद्देश्य के लिए उक्त मूल्यांकन को फिर से खोलने की आड़ में, आयोग को फिर से नहीं खोला जा सकता था या उस मामले के लिए, उक्त पहले के मूल्यांकन वर्षों से संबंधित मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता था। दंड की कार्यवाही न केवल उन मूल्यांकन वर्षों से संबंधित है जो आयोग से पहले नहीं थे, बल्कि वे उन पहले के मूल्यांकन वर्षों के दौरान कथित छिपावों से संबंधित हैं जो आयोग के समक्ष नहीं छिपाए गए थे। आयोग के समक्ष प्रकटीकरण दो अन्य छिपावों से संबंधित था (आकलन वर्ष 1975-76 के लिए खुलासा किया गया था लेकिन निर्धारिती सभी छह मूल्यांकन वर्षों 1970-71 से

1975-76 तक कौन सी राशि फैलाना चाहता था)उस छुपाव से पूरी तरह से अलग और अलग जिसके कारण उक्त दंड की कार्यवाही शुरू की गई थी।कमिश्नर ने यह निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया कि उक्त दंड कार्यवाही (आकलन वर्ष 1970-71 से 1974-75 से संबंधित) को हटा दिया जाना चाहिए या उक्त निर्धारण वर्षों के प्रतिवादी पर दंड माफ कर दिया जाना चाहिए। [199-ए, एफ-एच; 200-ए-बी, डी-ई, जी-एच; 201-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या का 1000-05/1979।

निपटान आयोग (आयकर एवं संपत्ति कर), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.7.79 से आवेदन संख्या 7/1/21/77-(आईटी) में पारित धारा 245-डी.जी. के तहत यह अधिनियम 1961।

अपीलकर्ताओं की ओर से जे.राममूर्ति, एन.सतेश और एस.एन.टेरडोल।

उत्तरदाताओं के लिए एन.के.पोद्दार, पी.एन.मिश्रा और श्रीमती ए.के.वर्मा।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश **बी.पी.जीवन रेड्डी, जे.** के द्वारा पारित किया गया।

आयकर आयुक्त, कलकत्ता (केंद्रीय) ने आयकर अधिनियम [अधिनियम] की धारा 245-डी के तहत निपटान आयोग द्वारा दिए गए 1 मार्च, 1979 के फैसले और आदेश के खिलाफ इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। प्रतिवादी-निर्धारिती, पहाड़पुर कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, कूलिंग टावरों और उनके हिस्सों के निर्माण में लगी हुई है। आकलन वर्ष 1970-71 से 1974-74 [पांच वर्ष] के लिए, इसने अपना रिटर्न दाखिल किया था। [लेखा वर्ष अक्टूबर को समाप्त होने वाली वर्ष की सूची थी।] मूल्यांकन वर्ष 1975-76 के लिए, निर्धारिती ने अपना रिटर्न दाखिल किया था। यह लंबित था। जबकि,

27 अक्टूबर 1976 और निम्नलिखित तारीखों पर, निरीक्षण निदेशक और उनके अधिकारियों द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली में निर्धारिती के परिसरों में तलाशी ली गई थी। निर्धारिती के कारखानों और प्रबंध निदेशक, बिक्री प्रबंधक, निदेशकों और उनके सहयोगियों के आवासीय परिसरों की भी एक साथ तलाशी ली गई। कई दस्तावेज जब्त किये गये।

24 जून 1977 को, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 245-सी के तहत एक आवेदन के साथ निपटान आयोग [आयोग] से संपर्क किया। आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में किया गया था. कॉलम नंबर 5 के सामने "आकलन वर्ष जिसके संबंध में निपटान के लिए आवेदन किया गया है", निर्धारिती ने कहा, "आकलन वर्ष 1975-76 और कोई अन्य कार्यवाही जो निपटान आयोग द्वारा तय की जा सकती है (अब आईटीओ के समक्ष लंबित है)" कॉलम नंबर 8 के सामने, "निपटाए जाने वाले मामलों का विवरण", निर्धारिती ने कहा, "आकलन वर्ष 1975-76 के लिए कुल आय का आकलन और कोई अन्य मामला जो निपटान आयोग द्वारा तय किया जा सकता है"।

निर्धारिती द्वारा किया गया आवेदन धारा 245-डी(1) के तहत उनकी रिपोर्ट के लिए आयकर आयुक्त को भेज दिया गया था। 6 जुलाई, 1977 को अपनी रिपोर्ट में, आयुक्त ने कहा कि "उन्हें सहायक वर्ष 1975-76 के संबंध में निपटान के लिए आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है"। 21 जुलाई 1977 के आदेश द्वारा, आयोग ने निपटान के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया।

15 नवंबर, 1977 को, निर्धारिती ने "तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण" दाखिल किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्य भी शामिल थे: उसने 10 फरवरी, 1976 को आकलन वर्ष 1975-76 के लिए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें कुल आय रु. 64,75,860/-; उक्त वर्ष का मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं

हुआ है; उसी समय, इसके विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई; लेखा विभाग और प्रबंध निदेशक को कई तथ्यों की जानकारी नहीं थी जो बाद में पता चले; उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए और कर अधिकारियों के साथ सहयोग करने और उत्पीड़न और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए, निपटान के लिए आयोग से संपर्क करने की सलाह दी गई है; निर्धारण वर्ष 1975-76 के रिटर्न में उल्लिखित तैयार माल का मूल्य 14,25,077,16 पी रुपये है; वास्तव में यह 31,55,000/- रुपये होना चाहिए; इसी प्रकार, 31 अक्टूबर, 1975 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के अंत में स्टॉक और तैयार माल का मूल्य रु. 19,85,000/- होना चाहिए, जबकि खुलासा आंकड़ा रु. 5,36,304/- था। निर्धारिती ने अनुरोध किया कि रिटर्न में बताए गए आंकड़ों के स्थान पर उपरोक्त संशोधित आंकड़े स्वीकार किए जाएं। इसके बाद कहा गया, "8. चूंकि प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य में उपर्युक्त के अनुसार 14,48,696/- रुपये (19,85,000/- घटाकर 5,36,304/- रुपये) का संशोधन करना आवश्यक है, इसलिए यह होगा पिछले वर्षों के मुनाफ़े पर प्रभाव क्योंकि बढ़ा हुआ स्टॉक केवल किसी एक लेखा वर्ष में नहीं बनाया गया था और न ही बनाया जा सकता था। (9)...सहायक वर्ष 1975-76 के लिए मुनाफ़े के उचित निर्धारण के लिए, देय समापन स्टॉक के बढ़े हुए मूल्य के लिए, कंपनी प्रस्तुत करती है कि आयोग पहले के पांच वर्षों के मूल्यांकन वर्षों, यानी सहायक वर्ष 1970-71 से 1974-75 को फिर से खोलने पर विचार कर सकता है। (10) कंपनी इसके द्वारा अधिनियम की धारा 245 ई में अपेक्षित सभी पिछले पांच वर्षों के मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति देती है। "ऐसा कहा जाता है कि इसी तरह का अनुरोध प्रकटीकरण की अन्य वस्तु के संबंध में किया गया है, अर्थात्, कुछ पूंजीगत व्यय, जिसका दावा राजस्व व्यय के रूप में रिटर्न में किया गया है, लेकिन जिसे निर्धारिती ने अब स्वीकार कर लिया है, उसे पूंजीगत व्यय के रूप में माना जा सकता

है। निर्धारिती ने यह भी अनुरोध किया कि आकलन वर्ष 1975-76 के साथ-साथ उक्त पहले के आकलन वर्षों से संबंधित सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।

आयोग ने आयुक्त से निर्धारिती द्वारा दायर उपरोक्त "तथ्यों के बयान" पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा। 3 जनवरी, 1978 को अपनी प्रतिक्रिया/रिपोर्ट में, आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा, "आवेदक ने...सहायक, वर्ष 1975-76 के संबंध में निपटान के लिए कहा था, लेकिन अब प्रस्तुत तथ्यों के विवरण में, यह कहा गया है कि निपटान के लिए अब प्रस्तावित राशि का पिछले 5 वर्षों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ेगा... ये सभी मूल्यांकन लंबे समय से पूरे हो चुके हैं और इनमें से किसी भी वर्ष में, स्टॉक के कम मूल्यांकन, जैसा कि अब प्रस्तावित है, मूल्यांकन/पुनः के लिए विचार नहीं किया गया था -आकलन...आवेदक के इस तर्क के समर्थन में फ़ाइल में बिल्कुल भी कोई सामग्री नहीं है"।

आयुक्त ने आगे कहा कि चूंकि निर्धारिती का मूल आवेदन मूल्यांकन वर्ष 1975-76 के संबंध में निपटान के लिए था, इसलिए पहले के मूल्यांकन वर्षों से संबंधित जुर्माना कार्यवाही के संबंध में स्थगन आदेश जारी करने के लिए तथ्यों के विवरण के पैरा-13 में निर्धारिती की प्रार्थना अनुचित है, विशेष रूप से तब जब उक्त जुर्माना कार्यवाही स्टॉक के कम मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, बल्कि अन्य मामलों से संबंधित है, जिनमें से कुछ का अपील में भी विरोध नहीं किया गया था। इस प्रतिक्रिया/रिपोर्ट के साथ, आयुक्त ने संबंधित आयकर अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न की जिसमें उक्त पूर्व मूल्यांकन वर्षों से संबंधित तथ्यों को विस्तार से बताया गया है। इसमें यह कहा गया था कि निर्धारिती की ओर से काफी कुछ छुपाया गया था, कि कुछ मामलों में मूल्यांकन फिर से खोल दिया गया था और उक्त मूल्यांकन वर्षों के संबंध में छुपाने के लिए

शास्तिक कार्यवाही भी लंबित थी। निर्धारिती द्वारा खातों और अभिलेखों के रखरखाव में कई अनियमितताओं को भी इंगित किया गया था।

अध्यक्ष और दो सदस्यों वाले आयोग ने पक्षों को विस्तार से सुना और आक्षेपित आदेश के तहत समझौते के लिए आवेदन का निपटारा किया। सभापति और दोनों सदस्यों के बीच एक मुद्दे पर मतभेद था - जो इन अपीलों में एकमात्र मुद्दा है। सवाल यह है कि क्या आयोग आकलन वर्ष 1975-76 से संबंधित निपटान के लिए एक आवेदन में आकलन वर्ष 1970-71 से 1974-75 से संबंधित दंड की कार्यवाही को हटा सकता है। आयुक्त द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारे सामने उन पर बहस नहीं की गई और हम उस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते। एकमात्र प्रश्न जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह आकलन वर्ष 1975-76 से संबंधित निपटान के लिए एक आवेदन में आकलन वर्ष 1970-71 से 1974-75 के लिए जुर्माना कार्यवाही और दंड को छोड़ने/छोड़ने की आयोग की शक्ति है। [आयोग की] बहुमत की राय यह मानने के लिए मुख्य रूप से धारा 245-ई पर निर्भर थी कि आयोग के पास ऐसी शक्ति थी जबकि अध्यक्ष का मानना इसके विपरीत था। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि आयोग के समक्ष निपटान के लिए आवेदन केवल मूल्यांकन वर्ष 1975-76 के संबंध में था, इसलिए पहले के मूल्यांकन वर्षों से संबंधित जुर्माना कार्यवाही "किसी भी तरह से वर्तमान निपटान आवेदन या निर्धारिती द्वारा दिए गए तथ्यों के बयान से जुड़ी नहीं थी। "और, इसलिए, आयोग के पास उक्त दंड कार्यवाही को माफ करने या छोड़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि उक्त जुर्माना कार्यवाही "आयकर अधिकारी द्वारा पहले ही पता लगाए गए कुछ अन्य छिपावों के संबंध में थी और निपटान आवेदन में विचार की गई आय से संबंधित नहीं थी"। [जोर दिया गया]

पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया:

इन अपीलों में, राजस्व के विद्वान वकील, श्री जे.राममूर्ति का मुख्य निवेदन, निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1974-75 से संबंधित दंड कार्यवाही को छोड़ने के आयोग के अधिकार क्षेत्र के संबंध में है। वकील ने प्रस्तुत किया कि निपटान के लिए आवेदन केवल मूल्यांकन वर्ष 1975-76 से संबंधित है, न कि उक्त पहले के मूल्यांकन वर्षों से। निर्धारिती ने आकलन वर्ष 1975-76 के लिए कुछ अतिरिक्त आय का खुलासा किया और साथ ही अनुरोध किया कि उक्त अतिरिक्त आय को सभी छह आकलन वर्षों 1970-71 से 1975-76 तक फैलाया जाए। निर्धारिती ने ऐसा अनुरोध किया था और छह वर्षों में उक्त अतिरिक्त आय को फैलाने/वितरित करने के सीमित उद्देश्य के लिए उक्त पिछले मूल्यांकन वर्षों को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति दी थी, जो कि उसके स्वयं के हित में किया गया अनुरोध था। वह नहीं चाहते थे कि आकलन वर्ष 1975-76 में पूरी अतिरिक्त आय उनकी आय में जोड़ी जाए जिससे उनकी कर देनदारी बढ़ जाती। विद्वान वकील ने कहा, मूल्यांकन वर्ष 1975-76 के लिए उचित और उचित राहत देने के सीमित उद्देश्य के लिए, उक्त पिछले मूल्यांकन वर्षों के मूल्यांकन को फिर से खोलने का अनुरोध किया गया था। वह जिस लाभ की मांग कर रहा था वह "प्रसार" के परिणामस्वरूप कुछ मात्रा जोड़ने के सीमित उद्देश्य के लिए उक्त पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने के अलावा नहीं दिया जा सकता था। सभी उद्देश्यों के लिए पहले के मूल्यांकनों को फिर से खोलने के लिए कोई अनुरोध या सहमति नहीं थी। संक्षेप में, निर्धारिती द्वारा दायर आवेदन उक्त पूर्ववर्ती मूल्यांकन वर्षों से संबंधित नहीं था, बल्कि केवल 1975-76 से संबंधित था। जो कुछ भी मांगा गया था वह केवल आकलन वर्ष 1975-76 के लिए कर देनदारी को कम करने के लिए मांगा जा रहा था। विद्वान वकील ने स्वीकार किए गए तथ्य पर जोर दिया कि निपटान आवेदन दाखिल करने के समय लंबित उक्त पूर्व मूल्यांकन वर्षों से संबंधित जुर्माना कार्यवाही, कुछ अन्य

छिपावों से संबंधित थी, न कि उन वस्तुओं से जो निपटान आवेदन में प्रकट की गई थीं। वकील ने यह भी कहा कि समझौता आवेदन केवल लंबित मामले के संबंध में ही दायर किया जा सकता है, जबकि उक्त पहले के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में आकलन पहले ही पूरा हो चुका था। उनके खिलाफ निर्धारिती द्वारा अपील भी नहीं की गई थी। श्री राममूर्ति ने हमारी स्वीकृति के लिए अध्यक्ष की राय की सराहना की।

उत्तरदाता-निर्धारिती के विद्वान वकील श्री एन.के.पोद्दार ने बहुमत के तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया। उनका तर्क इस प्रकार है: निर्धारिती ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था और पिछले मूल्यांकन वर्षों 1970-71 से 1974-75 के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति/सहमति दी थी। यह सच है कि यह अनुरोध और सहमति निर्धारण वर्ष 1975-76 के संबंध में निर्धारिती द्वारा मांगी गई राहत देने के लिए थी। लेकिन निर्धारिती द्वारा मांगे गए अनुतोष को देने के लिए, उक्त पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलना और प्रत्येक प्रासंगिक लेखांकन वर्ष में शुरुआती स्टॉक के बढ़े हुए मूल्यांकन के कारण कुछ राशियाँ जोड़ना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में, आयोग के पास उपरोक्त उद्देश्य के लिए उक्त पिछले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित मूल्यांकन को फिर से खोलने की निस्संदेह शक्ति थी। एक बार जब आयोग ने उक्त मूल्यांकन को फिर से खोला, तो वह उन पहले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित आवश्यक और उचित आदेश पारित करने का हकदार था; आयोग की शक्ति पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं थी। भले ही उक्त पहले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित दंड की कार्यवाही निर्धारिती द्वारा कुछ अन्य कथित संवृति से संबंधित थी [निपटान आवेदन में संबंधित दो वस्तुओं के अलावा] आयोग के पास, कानून में, उन दंड कार्यवाहियों को हटाने का निर्देश देने की शक्ति थी, इसके अलावा, एक बार इसने उक्त पूर्व मूल्यांकन वर्षों से संबंधित मूल्यांकन को फिर से खोल दिया। इसलिए, आयोग की बहुमत की राय तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर सही है। अध्याय XIX-A में अंतर्निहित योजना

और वस्तु उक्त व्याख्या का समर्थन करती है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि शास्तिक कार्यवाही छुपाने की राशि से सह-संबंधित है। एक बार जब छुपाई गई राशि प्रत्येक प्रासंगिक लेखांकन वर्ष में [शुरुआती स्टॉक के मूल्य] में फैलने के कारण उक्त पहले मूल्यांकन वर्षों में किए गए परिवर्धन के आधार पर परिवर्तन से गुजरती है, तो दंड की कार्यवाही कानून में स्वचालित रूप से अस्थिर हो जाती है। वे आगे नहीं बढ़ सकते। छुपाने के संशोधित आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से जुर्माने की कार्यवाही शुरू की जानी है- और वह केवल आयोग द्वारा किया जा सकता है, आयकर अधिकारी द्वारा नहीं।

कानून के प्रासंगिक प्रावधान:

यहां उठने वाले प्रश्नों की उचित सराहना के लिए, अध्याय XIX-ए में प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि वे प्रासंगिक समय पर प्राप्त हो रहे थे। धारा 245-ए के खंड (ए) में अभिव्यक्ति "केस" की परिभाषा इस प्रकार है :

"मामले' का अर्थ है भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत या इस अधिनियम के तहत किसी वर्ष या वर्षों के संबंध में किसी व्यक्ति के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में कार्यवाही करना, जो आयकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो सकता है वह तारीख जिस दिन धारा 245 सी की उपधारा (1) के तहत आवेदन किया जाता है।"

धारा 245-सी में प्रावधान है कि निपटान के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित विवरण सहित दाखिल किया जाएगा। धारा 245-डी निपटान के लिए आवेदन प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। उप-धारा (1) का दूसरा प्रावधान कहता है, "बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत एक आवेदन पर आगे कार्यवाई नहीं की जाएगी यदि आयुक्त इस आधार पर आवेदन पर आपत्ति जताता है कि आय के विवरण को छुपाया गया है।" भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या इस

अधिनियम के तहत किसी भी कर या अन्य प्रभार्य या असंभव राशि की चोरी के लिए आवेदक या उसके द्वारा धोखाधड़ी का अपराध , किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है या स्थापित किए जाने की संभावना है। मामले के संबंध में।"

उप-धारा (4) में प्रावधान है कि आयोग की रिपोर्ट (रिपोर्टों) सहित संपूर्ण सामग्री की जांच करने के बाद, आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतिम आदेश पारित कर सकता है। इन अपीलों के प्रयोजनों के लिए धारा 245-डी में अन्य उप-धाराओं का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

धारा 245-ई हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है और इसे पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है:

"245 ई. निपटान आयोग की पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलने की शक्ति.-- यदि निपटान आयोग की राय है (ऐसी राय के कारणों को उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा) कि, उसके समक्ष लंबित मामले के उचित निपटान के लिए, मामले से जुड़ी किसी भी कार्यवाही को फिर से खोलना आवश्यक या समीचीन है, लेकिन जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत पूरी हो चुकी है, या इस अधिनियम के तहत किसी आयकर धारा 245 सी द्वारा बनाई गई थी, यह आवेदक की सहमति से हो सकता है, ऐसी कार्यवाही को फिर से खोलें और उस पर ऐसे आदेश पारित करें जिसके संबंध में आवेदक द्वारा निपटान के लिए आवेदन उस धारा के तहत किया गया था जिसमें ऐसी कार्यवाही भी शामिल है:

बशर्ते कि मूल्यांकन वर्ष, जिससे ऐसी कार्यवाही संबंधित है, के अंत से आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत निपटान आयोग द्वारा कोई कार्यवाही दोबारा नहीं खोली जाएगी।"

धारा 245-एफ की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि "इस अध्याय के तहत निपटान आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अलावा, उसके पास वे सभी शक्तियाँ होंगी जो इस अधिनियम के तहत एक आयकर प्राधिकरण में निहित हैं"। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि "जहां धारा 245 सी के तहत किए गए आवेदन को धारा 245 डी के तहत आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है, निपटान आयोग, धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत एक आदेश पारित होने तक, उस धारा की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, मामले के संबंध में इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और आयकर प्राधिकरण के कार्यों को करने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार।"

धारा 245-एच आयोग को किसी आवेदक को भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अभियोजन से छूट देने का अधिकार देती है यदि वह संतुष्ट है कि उसने अपनी आय का पूरा खुलासा किया है और आयोग के साथ पूरा सहयोग किया है।

धारा 245-1 घोषित करती है कि "धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत पारित निपटान का प्रत्येक आदेश उसमें बताए गए मामलों के लिए निर्णायक होगा और इस अध्याय में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाला कोई भी मामला फिर से नहीं खोला जाएगा।" इस अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्यवाही में।

प्रस्तावित विवादों पर विचार:

धारा 245-सी(1) में प्रावधान है कि निपटान के लिए एक आवेदन निर्धारित विवरण वाले निर्धारित प्रपत्र में दायर किया जाएगा; इस मामले में, निर्धारिती द्वारा दायर आवेदन केवल एक मूल्यांकन वर्ष, अर्थात् 1975-76 से संबंधित है और कोई अन्य मूल्यांकन वर्ष नहीं है। धारा 245-डी(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार , जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू है, ऐसे किसी भी आवेदन पर आयोग द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है यदि आयुक्त इस आधार पर आवेदन पर आपत्ति जताता है कि विवरण छिपाया गया है। आवेदक की ओर से आय या किसी कर या अन्य प्रभार्य राशि से बचने के लिए उसके द्वारा धोखाधड़ी का अपराध स्थापित किया गया है या मामले के संबंध में किसी आयकर प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जाने की संभावना है; इस मामले में, आयुक्त ने मूल्यांकन वर्ष 1975-76 के अलावा अन्य मूल्यांकन वर्षों के संबंध में आयोग द्वारा कोई भी आदेश पारित करने पर आपत्ति जताई; जहां तक आकलन वर्ष 1975-76 का सवाल है, आयुक्त ने कोई आपत्ति नहीं जताई। धारा 245-डी की उप-धारा (4) कहती है कि संपूर्ण सामग्री की जांच करने के बाद, आयोग "आवेदन में शामिल मामलों और आवेदन में शामिल नहीं किए गए मामले से संबंधित किसी भी अन्य सामग्री पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।" "अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार"; दूसरे शब्दों में, आयोग को न केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना है बल्कि उसका अधिकार क्षेत्र उसके समक्ष आवेदन में शामिल मामलों तक ही सीमित है। आगे के शब्द "और मामले से संबंधित कोई भी अन्य सामग्री जो आवेदन में शामिल नहीं है" से पता चलता है कि आयोग किसी भी अन्य सामग्री पर विचार कर सकता है जो आवेदन में शामिल नहीं है, लेकिन यह उसके समक्ष मामले से संबंधित होनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि यह अध्याय [XIX-A] एक प्रक्रिया निर्धारित करता है जो अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सामान्य प्रक्रिया से अलग है। एक बार जब कोई आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है - एक आवेदन केवल लंबित मामले

के संबंध में ही किया जा सकता है - तो आयोग उस मामले से संबंधित सभी कार्यवाही को अपने हाथ में ले लेता है जो अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो सकती है। लेकिन यह शक्ति आयोग के समक्ष मामले तक ही सीमित है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन वर्ष से संबंधित मामला जिसके लिए निपटान के लिए आवेदन दायर किया गया है और निपटान के लिए स्वीकार किया गया है - इस मामले में, मूल्यांकन वर्ष 1975-76। धारा 245-ई, जो बहुमत की राय का शीट एंकर है, आयोग को उसके समक्ष मामले से संबंधित किसी भी पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलने का अधिकार देता है, लेकिन यह शक्ति अनुभाग में स्पष्ट रूप से बताई गई आवश्यकता से सीमित है कि पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलना चाहिए उसके समक्ष लंबित मामले के उचित निपटान के लिए आवश्यक या समीचीन। इस शक्ति पर दो अन्य सीमाएँ हैं, अर्थात्, पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलना, यहाँ तक कि उपरोक्त सीमित उद्देश्य के लिए, केवल निर्धारिती की सहमति से ही किया जा सकता है और दूसरी बात यह कि यह शक्ति इससे अधिक अवधि तक विस्तारित नहीं हो सकती है। निर्धारण वर्ष, जिससे ऐसी कार्यवाही संबंधित है, के अंत से आठ वर्ष। ये दो विशेषताएं यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं कि अनुभाग निर्धारिती के लाभ के लिए नहीं बल्कि राजस्व के हित में पूर्ण कार्यवाही को फिर से खोलने पर विचार करता है। यह ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां आयोग के समक्ष मामले को तब तक संतोषजनक ढंग से नहीं निपटाया जा सकता जब तक कि पहले से समाप्त हुई कुछ कार्यवाही को फिर से नहीं खोला जाता है जो आम तौर पर निर्धारिती के पूर्वाग्रह के लिए होगा। यही कारण है कि धारा कहती है कि यह केवल निर्धारिती की सहमति से ही किया जा सकता है और वह भी आठ साल के भीतर की अवधि के लिए। इस धारा को आयोग को अप्रत्यक्ष रूप से वह काम करने के लिए सशक्त बनाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता जो सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। हम समझा सकते हैं। आयोग के पास उसके समक्ष मौजूद मामले को निपटाने

का अधिकार क्षेत्र है। इसी मामले को लीजिए: इससे पहले निपटान के लिए आवेदन निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबंधित है। इसका अधिकार क्षेत्र केवल इस मामले को निपटाने तक ही सीमित है। इस मामले में, वह अन्य मूल्यांकन वर्षों से संबंधित मामलों का निपटारा नहीं कर सकता, जो उसके समक्ष नहीं हैं। आयुक्त पूर्व या अन्य वर्षों से संबंधित कार्यवाही को नहीं छू सकते। हालाँकि, इस नियम को धारा 245-ई द्वारा एक सीमित सीमा तक और एक सीमित उद्देश्य के लिए शिथिल किया गया है। समाप्त की गई कार्यवाही को आयोग द्वारा फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते (ए) उसके सामने मामले के उचित निपटान के लिए ऐसी दोबारा शुरुआत आवश्यक या समीचीन हो, (बी) ऐसी राय के कारणों को आयोग द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया गया हो, (सी) आवेदक-निर्धारिती को अपनी सहमति देनी होगी और (डी) जो कार्यवाही फिर से खोली जा रही है वह एक मूल्यांकन वर्ष से संबंधित होनी चाहिए जो कि उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से आठ साल के भीतर है जिससे आयोग के समक्ष मामला संबंधित है। इस प्रकार धारा 245-ई द्वारा प्रदत्त शक्ति एक सीमित और सशर्त शक्ति है। इसका प्रयोग केवल उपरोक्त शर्तों के अनुसार और उनके अधीन ही किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। अब देखते हैं कि क्या धारा 245-ई मूल्यांकन वर्ष 1975-76 से संबंधित मामले का निपटारा करते समय आयोग को मूल्यांकन वर्ष 1970-71 से 1974-75 से संबंधित दंड कार्यवाही को समाप्त करने में उपयोगी होगी, का निर्देश देने का लाभ उठाया।

वर्तमान मामले में, निर्धारिती द्वारा दायर आवेदन केवल एक मूल्यांकन वर्ष, अर्थात् 1975-76 के संबंध में था। यह यहां पहले उल्लिखित 24 जून 1977 के निपटान के लिए उनके आवेदन में उल्लिखित विवरणों से स्पष्ट है। उक्त आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया/रिपोर्ट में, आयुक्त ने कहा था कि उन्हें आयुक्त की रिपोर्ट दिनांक 6 जुलाई, 1977 के माध्यम से आकलन वर्ष 1975-76 के संबंध में निपटान के लिए आवेदन पर

कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद, निर्धारिती ने दायर किया, जिसे उन्होंने "तथ्यों का संक्षिप्त विवरण" कहा। इस बयान में, उन्होंने अनुरोध किया कि उनके द्वारा बताए गए शुरुआती स्टॉक के बढ़े हुए मूल्य को केवल आकलन वर्ष 1975-76 के मूल्यांकन में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि सभी छह मूल्यांकन वर्षों, यानी आकलन वर्ष 1970-71 से 1975-76 तक में उचित रूप से फैलाया जाना चाहिए। उन्होंने यह अनुरोध इसलिए किया, क्योंकि ऐसा करने से उनकी कुल कर देनदारी कम हो जाती। इसी उद्देश्य से उन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्षों के मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति/सहमति दी थी। इसलिए, यह धारा 245-ई द्वारा अपेक्षित स्थिति नहीं थी। यह ऐसा मामला नहीं था जहां आयोग संपन्न मूल्यांकन को फिर से खोलना चाहता था क्योंकि उसके समक्ष लंबित मामले के उचित निपटान के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन पाया गया था; यह एक ऐसा मामला था जहां निर्धारिती एक लाभ के लिए अनुरोध कर रहा था और उस लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से, वह अनुरोध कर रहा था। यहां तक कि निर्धारिती का यह अनुरोध भी एक सीमित उद्देश्य के लिए था, अर्थात् उक्त छह मूल्यांकन वर्षों में उसके द्वारा बताए गए शुरुआती स्टॉक के बढ़े हुए मूल्य को फैलाने के लिए। यह उक्त पूर्व मूल्यांकन वर्षों से संबंधित संपूर्ण मूल्यांकन और दंड कार्यवाही को फिर से खोलने का अनुरोध या सहमति नहीं थी। (वास्तव में, उक्त पूर्व मूल्यांकन वर्षों के लिए दंड की कार्यवाही निपटान के लिए आवेदन दाखिल करने और उसके प्रवेश की तारीख पर लंबित थी। जैसा कि अध्यक्ष ने अपनी राय में बताया, उक्त कार्यवाही आयकर अधिकारी द्वारा पहले से ही खोजी गयी कुछ छुपावों के संबंध में थी, यानी, आयकर अधिकारी द्वारा धारा 245-डी(1) के दूसरे परंतुक के अर्थ के भीतर आयकर अधिकारी द्वारा स्थापित या स्थापित किए जाने की संभावना- आयोग की शक्ति पर एक ओर सीमित कारक] इसलिए, यह इस प्रकार है कि आयोग केवल उपरोक्त सीमित उद्देश्य के लिए, यानी उक्त बढ़े हुए मूल्य को फैलाने के लिए उक्त पिछले

मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही को फिर से खोल सकता है। उपरोक्त सीमित उद्देश्य के लिए उक्त मूल्यांकन को फिर से खोलने की आड़ में, आयोग को फिर से नहीं खोला जा सकता था या उस मामले के लिए, उक्त पहले के मूल्यांकन वर्षों से संबंधित मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता था। आयोग को यह कहने की अनुमति नहीं है कि चूंकि उसने मूल्यांकन वर्ष के लिए राहत देने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए पिछले मूल्यांकन वर्ष के मूल्यांकन को फिर से खोल दिया है, इसलिए उसे उक्त सभी पिछले मूल्यांकन वर्षों पर पूर्ण आदेश और कुल क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है और यह दंड की कार्यवाही सहित उक्त मूल्यांकन वर्षों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। यह अप्रत्यक्ष रूप से वह काम करने जैसा होगा जो सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। आयोग द्वारा पारित अंतिम आदेश उसके समक्ष मामले से संबंधित होना चाहिए; यह केवल उसके समक्ष मामले को प्रभावी ढंग से निपटाने के उद्देश्य से है कि आयोग यहां उपर निर्धारित चार शर्तों के अधीन समाप्त कार्यवाही को फिर से खोल सकता है। हम यह देखने में असफल हैं कि दंड की कार्यवाही (जो अब हटा दी गयी है) धारा 245-ई द्वारा प्रदत्त शक्ति के दायरे में कैसे आती है। दंड की कार्यवाही ना केवल उन मूल्यांकन वर्षों से संबंधित है जो आयोग के समक्ष नहीं थे, बल्कि वे उन पहले के मूल्यांकन वर्षों के दौरान कथित छिपावों से संबंधित हैं जो आयोग के समक्ष नहीं थे। आयोग के समक्ष खुलासे दो अन्य छुपावों से संबंधित थे (आकलन वर्ष 1975-76 के लिए खुलासा किया गया था, लेकिन निर्धारिती सभी 6 मूल्यांकन वर्षों 1970-71 से 1975-76 तक को किस राशि को फैलाना चाहता था) छिपावों से पूरी तरह से अलग और भिन्न है जिसके कारण उक्त जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इसलिए, हमारी राय है कि आयोग ने यह निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है कि उक्त दंड कार्यवाही (आकलन वर्ष 1970-71 से 1974-75 से संबंधित) को हटा दिया जाना चाहिए या उक्त निर्धारण वर्षों के संबंध में

दंड माफ कर दिया जाना चाहिए। धारा 245-ई पर अध्यक्ष द्वारा रखी गयी व्याख्या सही है न कि बहुमत द्वारा दी गयी व्याख्या। हम निर्धारिती के विद्वान वकील श्री पोद्दार के इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि जुर्माने की मात्रा मूल्यांकन की गई आय की मात्रा पर निर्भर करती है और क्योंकि उक्त पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन की गई आय में बदलाव होना तय था। उपरोक्त "फैलाव" के कारण, पहले की जुर्माना कार्यवाही स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है और उसके बाद जुर्माना, यदि कोई हो, केवल निपटान आयोग द्वारा लगाया जा सकता है। उक्त निवेदन में स्पष्ट भ्रांति है। दंड की कार्यवाही कुछ अन्य छुपावों से संबंधित है, यानी, निपटान के लिए निर्धारिती के आवेदन में प्रकट किए गए दो छुपावों के अलावा और जिन्हें पीछे की ओर फैलाने की मांग की गई थी। इसलिए, उपरोक्त "फैलाव" के परिणामस्वरूप कुल आय में वृद्धि से उक्त जुर्माना कार्यवाही प्रभावित या निष्प्रभावी नहीं हो सकती है। उक्त "फैलाव" और उक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन की गई आय में परिणामी वृद्धि और दंड की कार्यवाही के बीच किसी भी संबंध को देखना मुश्किल है, अंतरंग संबंध तो दूर की बात है। अंत में, हम धारा 245-एफ(1) पर आधारित श्री पोद्दार की दलील का उल्लेख कर सकते हैं। उनके अनुसार, उप-धारा (1) निपटान आयोग को आयकर प्राधिकरण की शक्तियां प्रदान करती है, जिसमें धारा 147 के अनुसार मूल्यांकन को फिर से खोलने की शक्ति भी शामिल है। हम नहीं जानते कि धारा 147 के तहत शक्ति का दावा भी आयोग द्वारा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन यह मानते हुए कि उक्त शक्ति का प्रयोग धारा 148 और 149 सहित धारा 147 से 150 तक में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। बेशक, इस मामले में उनका अनुपालन नहीं किया गया। अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है और निपटान आयोग के आदेश को उस हद तक रद्द कर दिया जाता है, जिस हद तक उसने आकलन वर्ष 1970-71 से 1974-75 तक संबंधित दंड की कार्यवाही को हटा दिया है और उस हद तक कि उसने उक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए दंड

को माफ कर दिया है। इसके द्वारा दिए गए आदेश और निर्देश उक्त दंड कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगे जो अब कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है। निपटान आयोग इस निर्णय के अनुसार और उसके अनुसार अपने निर्णय और आदेश को संशोधित करेगा।

तदनुसार अपीलें लागत सहित स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं की लागत बीस हजार रुपये की समेकित राशि पर निर्धारित की गई है।

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मनीषा अग्रवाल द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 4 उत्तर, कोटा (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।